JPR5-160

# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## वाणिज्य विभाग

क्रंमाकःजेपीडी / मुअ(सीएवंपी) / सी– । / एफ1(34) /प्रे. 242 दिंनाक 12/02/04

## परिपत्र

विषय :– समझौता समितियों की बैठकों की कार्यवाही विवरण का स्पष्ट एवं विस्तृत नहीं होने के सदर्भ में ।

पूर्व में समय समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत यह भावना रही है कि समझौताा समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट होने चाहियें । भारत के नियत्रक एवं महालेखाकार ने अपने वाणिज्यिक प्रतिवेदन में खण्ड एवं वृत्त स्तर समझौता समितियों द्वारा लिये गये कतिपय फैसलों पर प्रतिकूल टिप्पणियॉ भी की है ।

इन टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के लिये निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है जिनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावे ।

1– प्रत्येक स्तर की समझौता समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट होना चाहिये ।

2– निर्णय में संदर्भित नियमों , उपनियमों एवं आदेशों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहियें ।

3– उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूटों का निर्णय में स्पष्ट उल्लेखन होना चाहिये

4– किसी मामले में यदि कोई निर्णय नहीं हो पाता हो तो स्वयं में स्पष्ट आदेश पारित किये जाने चाहिए।

आदेशानुसार

( एस.सी.मल्होत्रा )
मुख्य अभियंता (सी.एवं पी )